FORM N0. III

फर्द अहकाम
(नियम–26)

९४

अज अदालत संभागीय आयुक्त मुकाम अजमेर

राजुराम बनाम सरकार जरिये तह0 नागौर व अन्य

किस्म मुकदमा/अपील /एलआर–75/नं0/2022/169 जिला नागौर

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपी0 अधि0 : – श्री गोविन्द शर्मा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.05.2022	पत्रावली बाद जॉच पेश हुई। अपीलान्ट अभिभाषक श्री गोविन्द शर्मा उपस्थित हैं, जिन्हे अपील के तथ्यों एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर एक तरफा सुना गया। अपील **Subject to Limitation** दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया जावे तथा प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी हो। स्थगन प्रार्थना पत्र पर हुई बहस पर मनन, अपील मीमो में वर्णित तथ्यों, अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर जिला नागौर के निर्णय 25.02.2022 अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 102/2022 बउनवान तह0 नागौर बनाम राजुराम का अवलोकन किया गया। बाद मनन स्थगन प्रार्थना पत्र आराजी तौर पर स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.2022 की पालना व प्रभाव आगामी तारीख पेशी तक स्थगित की जाती है। अहकाम जारी हो। इन्तजार तलबी होकर पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 05-07-22 को पेश हो। [signature] संभागीय आयुक्त अजमेर	रेकार्ड तलब 5535 26-5-22 नोटिस 5536 26-5-22
5/7/22	बार ऐसो. द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया है। पी.ओ.साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली मतादेशानुसार दिनांक 12/7/22 को पेश हो। [signature]	रेकार्ड तलब [illegible] तामील प्राप्त
12-07-22	पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट अभिभाषक उपस्थित। अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते अपील को विड्रो किये जाने बाबत पेश किया। अपीलान्ट अभिभाषक को विड्रो प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा कमोबेश प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि इस अपील को अपीलान्ट अब आगे नही चलाना चाहता है तथा न ही इस अपील मे आगे कोई कार्यवाही चाहता है तथा अपील को इसी स्तर पर विड्रो करना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को आगे नही चलाने का निर्णय लिये जाने के कारण अपील विड्रो किये जाना का निवेदन किया है। प्रार्थीगण/अपीलान्ट अभिभाषक के निवेदन पर उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते अपील विड्रो किये जाने का स्वीकार किया जाता है तथा अपील इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] संभागीय आयुक्त अजमेर	[illegible]

Scanned with CamScanner